

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 225 / 2016

संस्थित दिनांक-04.05.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. सब्जा उर्फ सत्यपाल पुत्र मुंशीसिंह गुर्जर  
उम्र 22 साल, निवासी ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी  
जिला भिण्ड म0प्र0
2. सतीश पुत्र रूस्तमसिंह गुर्जर उम्र 21 साल
3. बंटी पुत्र गब्बरसिंह गुर्जर उम्र 28 साल  
निवासीगण ग्राम बंकेपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड

**फरार-**

4. अरविंद पुत्र हाकिमसिंह गुर्जर उम्र  
निवासी ग्राम कंठवा गुर्जर थाना गोहद जिला भिण्ड

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 23.01.2017 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13-14.01.16 की दरम्यानी रात आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत फरियादी के मकान के दरवाजे के सामने ग्राम राय की पाली से फरियादी के आधिपत्य का एक टेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 को बिना उसकी सहमति के हटाकर ले जाकर चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अजीत सिंह तोमर दि0 13.01.2016 को रोजाना की तरह अपने टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 महिन्द्रा कंपनी को अपने मकान के दरवाजे के सामने खड़ा करके सो गए, जब सुबह जागा तो वहां पर टेक्टर नहीं था। आसपास तलाश करने पर भी टेक्टर नहीं मिला। दिनांक 13-14 जनवरी, 2016 कोई अज्ञात चोर उसे चुरा ले गया। टेक्टर की कीमत करीब 95000/-रुपए होगी। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर दिनांक 15.01.2016 को की गई। दौराने अनुसंधान नक्शमौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त से पूछताछ कर धारा 27 के मेमोरेण्डम लिए। उन्हें गिरफ्तार

कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया एवं जप्ती कर जप्तीपत्रक बनाया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण द्वारा उनके निर्दोष होने एवं झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 13-14.01.16 की दरम्यानी रात आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत फरियादी के मकान के दरवाजे के सामने ग्राम राय की पाली से फरियादी के आधिपत्य का एक टेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 की चोरी हुई ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान से फरियादी के आधिपत्य का एक टेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 को बिना उसकी सहमति के हटाकर ले जाकर चोरी कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अजीतसिंह अ0सा0 1, मनोजसिंह अ0सा0 2, राघवेन्द्र अ0सा0 3, अनिल शर्मा अ0सा0 4, विक्रमसिंह अ0सा0 5, भगवतीप्रसाद शर्मा अ0सा0 6, रामकुमार पाठक अ0सा0 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है।

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01**

6. फरियादी अजीत सिंह अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना जनवरी माह की है। वे घर पर खाना खा-पीकर सो गये थे। उनका टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 महिन्द्रा कंपनी का अपने दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया था। दूसरे दिन जब सुबह जागा तो टेक्टर दरवाजे पर नहीं था। आसपास तलाश की, किंतु टेक्टर नहीं मिला और उक्त टेक्टर की कीमत करीब 95000/- थी। घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे में करना बताते हैं, जिसे प्र0पी0 1 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। फरियादी के कथन की पुष्टि प्राथमिकी प्र0पी0 1 से हो रही है। घटनास्थल का नक्सामौका प्र0पी0 2 बनाया उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथनों को अभियुक्तगण की ओर से चुनौती नहीं दी गई। मात्र यह सुझाव दिया गया कि उन्होंने चोरी करते हुए किसी आरोपी को नहीं देखा। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट अज्ञात चोर के संबंध में की गई है। ऐसे में उक्त कथित चोरी की घटना का कोई खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी मनोज सिंह अ0सा0 2 उनके पड़ोसी, फरियादी अजीत सिंह के दरवाजे से टेक्टर चोरी होने के संबंध में समर्थन किया है।

7. प्रकरण में दोनों ही साक्षियों द्वारा घटना के संबंध में अजीत सिंह के घर के दरवाजे के सामने से टेक्टर महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 के चोरी होने के संबंध में पुष्टि की गई है, किंतु कोई सारवान खण्डनात्मक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। साक्षी आरक्षक राघवेंद्र अ0सा0 3 व आरक्षक विक्रम अ0सा0 5 दोनों ही दिनांक 29.01.2016 को मौ रोड पर टेक्टर लावारिस अवस्था में मिलने के संबंध में कथन करते हैं और जप्तीपत्रक उनके समक्ष बनाए जाने का कथन करते हैं। क्रमशः प्र0पी0 3 पर ए से ए भाग पर तथा बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। उनके साक्ष्य से घटनास्थल फरियादी के मकान के सामने से टेक्टर अन्य स्थान मौ रोड पर गम्बा(नहर) के पास से उक्त टेक्टर की जप्ती होने के संबंध में कथन करते हैं। ऐसी दशा में खण्डन के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 13-14 जनवरी, 2016 को फरियादी अजीत सिंह के आधिपत्य का टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 की चोरी कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभिकथित चोरी अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा कारित की गई ?

### विचारणी प्रश्न क्रमांक 02

8. फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में किसी भी अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखे जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता रामकुमार पाठक अ0सा0 7 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 17.01.2016 को थाना गोहद चौराहे पर सहायक उपनिरीक्षक (ए0एस0आई0) के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उन्होंने फरियादी अजीत सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शाभौका बनाया था, जिसे प्र0पी0 2 बता कर उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। उक्त दिनांक को मनोज व अजीत तथा उदयप्रताप सिंह के कथन व दि017.02.16 को साक्षी भगवती प्रसाद व सुन्दर सिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया जाना बताते हैं। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता यह कथन करते हैं कि तत्पश्चात् उनके द्वारा दिनांक 08.03.2016 को अभियुक्त सब्जा उर्फ सत्यपाल के न्यायालय में उपस्थित होने पर उन्होंने गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 5 बनाया था। तत्पश्चात् साक्षी के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन लिए जाने व अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन लिए जाने के संबंध में कथन करते हैं।

09. प्रकरण में जहां किसी भी चछुदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को या उनमें से किसी को अभिकथित टेक्टर को फरियादी अजीत सिंह के मकान के दरवाजे से चोरी करते हुए देखने का कथन नहीं किया गया है और न ही किसी अभियोजन साक्षी द्वारा उनके अभिकथित टेक्टर को ले जाते हुए या छिपाते हुए देखे जाने का कोई कथन किया है। प्रकरण में साक्षी भगवती प्रसाद अ0सा06 को परीक्षित कराया गया, जो अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी अजीत सिंह के यहां से टेक्टर

चोरी चले जाने का कथन करते हैं। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी न होना बताते हैं। साक्षी को पक्षद्राही घोषित कर सूचक प्रश्नों में 14.01.2016 को सुबह 04:00 बजे सुन्दर सिंह चौहान के साथ चक नहर का पानी देखने पिपाहडी हैट जाने और उस समय अभियुक्त सब्जा को राय की पाली तरफ से उक्त टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 चलाते हुए लाने के समय देखने का सुझाव दिए जाने पर साक्षी द्वारा सुन्दर सिंह चौहान के साथ पिपाडी हैट जाने का तथ्य याद न होने और अभियुक्त सब्जा को अभिकथित टेक्टर चलाते हुए लाने से इन्कार किया है। इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि उस समय टेक्टर पर अभियुक्त अरविन्द, सतीश तथा बंटी बैठे हुए थे तथा इस तथ्य से इन्कार किया कि सभी श्यामपुरा गुर्जर नहर की पटरी होते हुए टेक्टर को ले गए थे। ऐसे में अभियोजन ऐसे में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन के कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

10. प्रकरण में साक्षी राघवेन्द्र अ0सा0 3 तथा विक्रम सिंह अ0सा0 7 दोनों पुलिस साक्षी हैं। दोनों साक्षीगण दिनांक 29.01.2016 को एसआई ए0एस0 तोमर के साथ मौ रोड पर बम्बा के आगे की तरफ टेक्टर खड़ा मिलना बताते हैं। उस संबंध में जप्तीपत्रक प्र0पी0 3 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्र0पी0 3 का दस्तावेज अभिलेख पर है, जिसके द्वारा अभियोजन की ओर से यह दर्शित किया गया है कि दिनांक 29.01.2016 को शाम करीब 06:10 बजे गोहद के मौ रोड बम्बा के आगे अभिकथित टेक्टर महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 को आम रोड से जप्त किया गया था। प्रकरण में प्र0पी0 3 का दस्तावेज किसी अभियुक्तगण के आधिपत्य से अभिकथित टेक्टर की जप्ती के संबंध में पुष्टी नहीं करता है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है। प्रकरण में चोरी की संपत्ति आम रोड पर लावारिस अवस्था में जप्त किए जाने का तथ्य प्र0पी0 3 से दर्शित है।

11. प्रकरण में विवेचना अधिकारी रामकुमार पाठक अ0सा0 7 यह कथन करते हैं कि उनके द्वारा दिनांक 08.02.2016 को अभियुक्त सब्जा उर्फ सत्यपाल को न्यायालय गोहद परिसर में उपस्थित होने पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। तत्पश्चात् अभियुक्त के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम साक्षीगण के समक्ष लिए जाने के संबंध में कथन करते हैं। अभियुक्त सब्जा के संबंध में ली गई मेमोरेण्डम प्र0पी0 4 बताकर उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देन योग्य है कि प्र0पी0 3 के जप्तीपत्रक के अनुसार दिनांक 29.01.2016 को टेक्टर आम रोड पर लावारिस अवस्था में जप्त किया है। उक्त दिनांक तक किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के पास उक्त टेक्टर रहा है, उस संबंध में कथन नहीं किया गया है, जबकि इसके पश्चात् दिनांक 17.02.2016 को अनुसंधानकर्ता रामकुमार पाठक अ0सा 7 द्वारा भगवती व सुन्दर सिंह के कथन लेख किए जाना बताया है, जिनसे अभियुक्तगण की अपराध की संलिप्तता का आधार



दर्शाया है, जबकि प्रकरण में भगवती अ0सा0 6 द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, जबकि सुन्दर सिंह को अभियोजन ने परीक्षित नहीं कराया है। ऐसे में अभियुक्तगण के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन के आधार पर प्रकरण में कोई भी संपत्ति जप्त नहीं हुई है।

12. भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 25 यह उपबंधित करती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त की की गयी संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना –“कोई भी संस्वीकृति जो व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजि0 की साक्षात उपस्थिति में न की गयी हो।”

**इस सिद्धांत के अपवाद सवरूप धारा 27 में उपबंधित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जावेगी।** “परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद् द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

13. इस प्रकार से उपरोक्त प्रावधान के अनुसार जहां अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी से किसी सुसंगत तथ्य का पता चलता है, वह तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित किया जा सकता है। इस प्रकरण में अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम धारा 27 क्रमशः प्र0पी0 4, 7 व 9 के आधार पर अभिकथित टेक्टर को बेचने के लिए ले जाते समय गोहद मौ रोड पर टेक्टर का डीजल खत्म हो जाने के कारण उसे छोड़कर भाग जाने का तथ्य लेख किया गया है। जबकि स्वयं प्र0पी0 4, 7 व 9 के तथ्यों में विरोधाभास है। प्र0पी0 4 व 7 में गोहद मौ रोड पर टेक्टर का पहिया पंचर हो जाने के कारण छोड़ दिए जाने का तथ्य लेख है, जबकि प्र0पी0 9 में डीजल खत्म हो जाने के कारण छोड़ दिए जाने का तथ्य लेख है और उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर कोई संपत्ति जप्त नहीं हुई है और न ही किसी सुसंगत तथ्य का पता चला है। ऐसी दशा में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम को कोई औचित्य नहीं रहा जाता है और वे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में सुदृढ़ आधार के नहीं पाए जाते हैं।

14. अभिकथित टेक्टर की जप्ती प्र0पी0 3 के अनुसार लोक मार्ग पर गोहद मौ रोड बम्बा के पास लावारिस अवस्था में हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कथन अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी तथ्य का पता चलने पर तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है, किंतु अपराध की विषय वस्तु किसी ऐसे स्थान पर होती है, तो सार्वजनिक एवं किसी भी व्यक्ति के लिए पहुंच के योग्य है तो ऐसी दशा में ऐसी जप्ती का कोई आचित्य नहीं है। इस संबंध में **न्यायादृष्टांत STATE OF H.P./s.JEET SINGH AIR 1999 SC 1293 :1999 (4) SCC 370** की ओर आकर्षित होता है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया—

**para26.** There is nothing in Section 27 of the Evidence Act which renders the statement of the accused inadmissible if recovery of the articles was made from any place which is "open or accessible to others". It is a fallacious notion that when recovery of any incriminating article was made from a place which is open or accessible to others it would vitiate the evidence under Section 27 of the Evidence Act. Any object can be concealed in places which are open or accessible to others. For example, if the article is buried on the main roadside or if it is concealed beneath dry leaves lying on public places or kept hidden in a public office, the article would remain out of the visibility of others in normal circumstances. Until such article is disintered its hidden state would remain unhampered. The person who hid it alone knows where it is until he discloses that fact to any other person. Hence the crucial question is not whether the place was accessible to others or not but whether it was ordinarily visible to others. If it is not, then it is immaterial that the concealed place is accessible to others.

And also follow same principal in **State of Maharastra vs. bharat fakira dhivar AIR 2010 SC 16**

15. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य तो प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 13-14 जनवरी, 2016 को रात्रि में फरियादी अजीत सिंह के घर के सामने से उसका महिन्द्रा टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 की चोरी हुई थी, किंतु अभियुक्तगण के विरुद्ध यह तथ्य प्रमाणित करने में युक्तियुक्त रूप से असफल रहा है कि उक्त टेक्टर की चोरी अभियुक्तगण द्वारा की गई। अतः अभियुक्त सब्जा उर्फ सत्यपाल गुर्जर, सतीश गुर्जर व बंटी गुर्जर को संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन मुक्त किए जाते हैं। धारा 437 ए दफ़्तर के अधीन प्रस्तुत जमानत निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

17. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं। सह अभियुक्त के फरार होने से संपत्ति का निराकरण सह अभियुक्त के निर्णय के समय किया जावेगा।

18. यदि अभियुक्तगण इस प्रकरण में निरोध में रहे तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

य सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
य / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)